



अंक नवम वीतर वगै 373/211

19-12-24 पत्रावली पेश हुई। वादी आदि. उप.।
उत्तरवादी आदि. उप.। वादी वादग्रहण शक्ति
के शब्द रिपोर्ट की मर्यादा जति पेश की।
उत्तरवादीगण को जवाब जतन करने हेतु
न्यायालय में अतिरिक्त खर्चा दिया जा रहा है।
पत्रावली वाले शब्द रिपोर्ट की उत्तर पेश
करने तथा जवाब जतन करने हेतु दिनांक
21/1/25 को पेश हो।


19/1/25

21/1/25

पत्रावली पेश हुई। आज स्थानीय बार
एसोसियेशन का कार्य स्थगन किया
हुआ है। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकीय
कार्य में व्यस्त है। पत्रावली साविक आदेश
दिनांक 29/1/25 को पेश हो।


अधीनसेरीजर


29/1/25 -

पत्रावली पेश हुई। वादी-उत्तरवादी आदि. उप.
प्रकरण आकीक आवेदन में दिनांक 21/1/25
को पेश हो




21/2/25

पत्रावली पेश हुयी समयपक्ष
पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त
अवकाश में है। पत्रावली साविक आदेश
दिनांक 17/3/25 को पेश हो।


अधीनसेरीजर

17/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आदिवक्ता
अनुपस्थित। वादी एवं वादी आदिवक्ता को
नियमानुसार तीन बार आवाजे लगवाई गई। जतन
कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी आदिवक्ता
को न्यायालय में एक बार पुनः आवाज लगवाई गई,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM हो
चुका है। वादी एवं वादी आदिवक्ता के न्यायालय
में उपस्थित नहीं आने के कारण वादी एवं वादी वक्ता

— लगातार — 
17/3/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

करण सं. 373/2011

उपवाज

88, 89, 188 RTA

नांक


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

औक जलम नीतर वगैर

नम्बर या तारीख
अहकाम को इस
हुकम की सामील
में जारी हुए

अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 वाद-आज कारतकारी
आदिनिधम को अदम हाजरी। अदम पैली में
खारिज किया जाग ली। निरपि सरे बज लाग जुनाप
जापा। रिक्ती फर्ज जारी हो।

पत्रावली कौमल शुमार होकर
जाखिल दफ्तर हो नया नम्बर में कम ली।


17/3/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भैरू लाल पुत्र देबी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. पप्पू लाल पुत्र देबी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. रूपी पुत्री देबी लाल माली आयु वयस्क निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1. छीतर पुत्र मूला माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
2. अमरा पुत्र मूला माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
3. लादू पुत्र बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
4. नन्दू पुत्री बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
5. लाली पुत्री बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
6. गल्लू पुत्री बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
7. सुगना पुत्री बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
8. देउ पत्नी बरदा माली आयु वयस्क निवासी पुर भीलवाड़ा
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।
10. उपपंजीयक, पंजीयन कार्यालय भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 373/2011 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री शिव सिंह चारण अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 17.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादीगण एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


17/3/25
अरुण कुमार जैन
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा